नगर पालिक निगम, उज्जैन

नगर पालिक निगम, उज्जैन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 स्थित कार्तिक मेला प्रांगण (कार्तिक मेला अवधि सहित) वाहन पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका कब्जा दिनांक से आगामी 03 वर्ष के लिये नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक ठेका राशि से अधिक राशि पर दिये जाने का निविदा प्रपत्र

राजस्व विभाग (अन्यकर)

छत्रपति शिवाजी भवन, आगर रोड़, उज्जैन (म.प्र.) 456001

सम्पर्क – 7869598987

नोट :– प्रमुख तिथियों में किसी मामले में ई–पोर्टल पर दिखाई देने वाली प्रमुख तिथियॉ अंतिम होगी। अधिक जानकारी के लिये कृपया वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखें। शुद्धिपत्र या संशोधन यदि कोई हो, तो केवल वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

कार्यालय, नगर पालिक निगम उज्जैन

राजस्व विभाग (अन्यकर)

छत्रपति शिवाजी प्रशासनिक भवन, आगर रोड़, उज्जैन (म.प्र.)

ऑफर आमंत्रण निविदा प्रपत्र

नगर पालिक निगम, उज्जैन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 स्थित कार्तिक मेला प्रांगण (कार्तिक मेला अवधि सहित) वाहन पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका कब्जा दिनांक से आगामी 03 वर्ष के लिये नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक ठेका राशि से अधिक राशि पर दिये जाने के लिये इच्छुक व्यक्ति/संस्था/साझेदारी फर्म/कंपनी या कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति/संस्था/फ्रेंचाईजी से निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि से अधिक राशि का ऑनलाईन ऑफर आमंत्रित किया जाता है।

सामान्य विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य का नाम –	**कार्तिक मेला प्रांगण (कार्तिक मेला अवधि सहित) वाहन पार्किंग ठेका**
न्यूनतम निर्धारित वार्षिक ठेका राशि. –	**8,85,600/– रूपये**
अमानत राशि (2.50 प्रतिशत) –	**22,140/– रूपय**
टेण्डर डाक्यूमेंट की लागत –	**2,000/– रूपये**

टेण्डर डाक्यूमेंट क्रय करने एवं बीट प्रस्तुत करने की दिनांक ई–टेण्डरिंग पोर्टल www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। पोर्टल में उल्लेखित दिनांक अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निविदा ऑफर प्रस्तुतीकरण –

ऑनलाईन बीड प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक निर्देश

ऑनलाईन बीड करने हेतु ई–टेण्डर पोर्टल ''Online bidder Enrollment'' पर जाकर लॉगिन एवं पासवर्ड लिया जाना होगा, इस हेतु आयकर पेन कार्ड आवश्यक है एवं ऑनलाईन बीड प्रस्तुत करने हेतु डिजीटल सिगनेचर क्लॉस–3 साईनिंग की आवश्यकता होगी।

'अनुसूची–2' अनुसार ऑनलाईन ऑफर प्रस्तुत किया जावे। किसी अन्य ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा प्रपत्र, प्रक्रिया, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे, अन्यथा बाद में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा/आफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है।

यह ऑफर ऑनलाईन दो लिफाफा पद्धति पर आधारित है।

प्रथम लिफाफा ''ए'' जिसमें निम्न दस्तावेज ऑनलाईन सम्बद्ध करें :–

1. अमानत राशि ऑनलाईन ई–पेमेंट के माध्यम से जमा की पावती की स्केन प्रति।
2. व्यक्तिगत होने पर संबंधित थाना से आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने के प्रमाण पत्र की स्केन प्रति लगाई जाना आवश्यक है।
3. व्यक्तिगत होने पर (पहचान पत्र व एड्रैस प्रुफ) **आधार कार्ड या वोटर आई.डी. कार्ड या वैध ड्राईविंग लायसेंस** में से कोई एक की स्केन प्रति। संस्था/कंपनी होने पर जीवित पंजीयन (Valid) की स्केन प्रति।
4. निर्धारित आवेदन प्रारूप ''अनुसूची –1'' में पूर्ति उपरान्त स्केन प्रति।

नोट :– ई–निविदा के संलग्न स्केन प्रतियॉ अपठनीय होने की स्थिति में पृथक से जमा कराई जा सकेगी।

द्वितीय लिफाफा ''बी'' में ऑफर बीड प्रस्तुत की जावे।

लिफाफे 'ए' में वांछित समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगे। पृथक से व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से भेजे गये दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।

ऑफर बीड अर्थात लिफाफा 'बी' ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जावे। निर्धारित प्रारूप अंतर्गत ऑनलाईन ऑफर प्रस्तुत की जावे। लिफाफा 'ए' में ऑफर के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया जावे अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जावेगा।

सर्वप्रथम लिफाफा ''ए'' खोला जावेगा। अपेक्षित रूप में अमानत राशि एवं दस्तावेज पाये जाने पर निगम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण पश्चात पात्र व्यक्ति/संस्था/फर्म/ कंपनी का लिफाफा ''बी'' खोला जावेगा। प्राप्त दस्तावेज और वित्तीय ऑफर के मूल्यांकन के आधार चयन किया जावेगा।

अमानत राशि की वापसी –

यथा स्थिति ई–निविदा खोले जाने के पश्चात् उच्चतम निविदादाता की जमा प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं की प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि वापस दी जावेगी। ऐसी जमा अमानत राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

पात्रता योग्यता –

निविदादाता (ऑफरदाता) से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों/मानदण्डों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। शर्तों/मानदण्डों को पूरा करने के लिए या इन शर्तों/ मानदण्डों के समर्थन के लिये अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले निविदादाता (ऑफरदाता) को पूर्व मूल्यांकन के दौरान खारिज किया जा सकता है। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

निरर्हता (डिसक्वालिफिकेशन) –

आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदादाता (ऑफरदाता) को ऑफर के मूल्यांकन के दौरान या किसी भी समय अयोग्य घोषित कर सकता है यदि –

निविदादाता (ऑफरदाता) द्वारा वांछित पात्रता दस्तावेज की पूर्ति में भ्रामक या झूठा अभ्यावेदन/दस्तावेज प्रस्तुत किया हो।

विवाद समाधान प्रक्रिया –

इस निविदा प्रपत्र की संरचना एवं व्याख्या भारतीय कानून द्वारा शासित है। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवादो का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

टेण्डर की सामान्य शर्ते

1. संबंधित से आशा की जाती है कि वे टेण्डर डाक्यूमेंन्ट में लिखित शर्तो का गहन अध्ययन के पश्चात ही ऑफर प्रस्तुत करे।
2. निविदा (ऑफर) प्रस्तुत करने वाले के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा टेण्डर की समस्त शर्तों का अध्ययन कर समझ लिया गया है।
3. टेण्डर (ऑफर) प्रस्तुत करने के पश्चात निविदादाता (ऑफरदाता) की कोई भी आपत्ति आदि पर विचार नहीं किया जावेगा।

ऑफर की विशेष शर्ते

1. कार्तिक मेला प्रांगण (कार्तिक मेले सहित) वाहन पार्किग स्थल के ठेका अंतर्गत संबंधित को उक्त स्थल पर खड़े होने वाले वाहनों के वाहन स्वामियों से ही पार्किंग शुल्क वसूल किये जाने का अधिकार ही प्राप्त होगा।
2. संबंधित को निर्धारित वाहन पार्किंग स्थल के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर वाहन पार्किंग शुल्क वसूल किये जाने का अधिकार नहीं होगा।
3. कार्तिक मेला प्रांगण में प्रति बुधवार को पशु हाट का आयोजन निगम द्वारा किये जाने से संबंधित को कार्तिक मेला प्रांगण प्रति बुधवार पशु हाट के लिये गणेश मंदिर से लगाकर लालगेट तक की भूमि एवं पुराना मंच के सामने की भूमि (स्थान) को रिक्त रखना अनिवार्य होगा एवं संबंधित के द्वारा लालगेट से कब्रस्तान की दीवार तक की रिक्त भूमि पर वाहन पार्किंग करायी जा सकेगी।

4. संबंधित को प्रति बुधवार आयोजित होने वाले पशु हाट अंतर्गत पशु परिवहन में सम्बद्ध वाहनों के स्वामियों से वाहन पार्किंग शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

5. यदि नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा कार्तिक मेला प्रांगण में कार्तिक मेला के अतिरिक्त अन्य कोई मेला आयोजित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आयोजित मेला अवधि में संबंधित को किसी भी प्रकार का वाहन पार्किग शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं रहेगा साथ ही कालीदास उद्यान में भ्रमण हेतु आने वाले नागरिकों के वाहन स्वामियों से कोई भी वाहन पार्किंग शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

6. नगर पालिक निगम, उज्जैन या अन्य किसी शासकीय विभाग द्वारा कार्तिक मेला प्रांगण के उपयोग की अनुमति किसी संस्था/व्यक्ति को विधिवत् दी जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित के द्वारा निर्धारित अवधि में कार्तिक मेला प्रांगण वाहन पार्किंग स्थल का उपयोग वाहन खड़े किये जाने हेतु नहीं किया जा सकेगा और न ही वाहन पार्किंग शुल्क वसूल किया जा सकेग परंतु ऐसी स्थिति में जितने दिवस वाहन पार्किंग स्थल का संचालन बंद रखा गया है उतने दिवस की अवधि ठेका अवधि समाप्ति के उपरांत आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा बिना शुल्क जमा कराये वृद्धित की जा सकेगी परन्तु ऐसी स्थिति में संबंधित ठेकेदार को वाहन पार्किंग स्थल बन्द रहने का सक्षम प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

7. ई–निविदा के साथ न्यूनतम आरक्षित मूल्य (प्रीमियम राशि) का 2.50 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) राशि प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि/E.M.D.) के रूप में ऑनलाईन जमा की जाना होगी।

8. यथा स्थिति ई–निविदा खोले जाने के पश्चात् उच्चतम निविदादाता की जमा प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं की प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि/E.M.D.) राशि वापस ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ई–निविदादाता द्वारा निर्धारित किये गये बैंक खाते मे ंही वापस होगी।

9. वाहन पार्किंग ठेके में वही व्यक्ति भाग ले सकेगा जिसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज न हों, इस हेतु आवेदक को उसके निवास क्षेत्र से संबंधित थाने से अपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का प्रमाण पत्र की स्केन प्रति अनिवार्य है।

10. उच्चतम निविदादाता की ई–निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सूचना प्राप्त होने पर सम्बंधित को निर्धारित अवधि में सर्वप्रथम स्वीकृत ठेका राशि की 15 प्रतिशत राशि परफार्मेंस गारंटी के रूप में एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन के नाम देय हो, प्रस्तुत करना होगी उसके उपरांत ही ठेके की आगामी कार्यवाही संपादित की जा सकेगी।

11. यदि उच्चतम निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में परफार्मेंस गारंटी की एफ.डी.आर. प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन को यह अधिकार होगा कि वह सम्बंधित के द्वारा जमा कराई गई 2.50 प्रतिशत जमा अमानत राशि (E.M.D.) राजसात कर ठेका निरस्त कर पुनः ई–निविदा आमंत्रित कर सकेगा।

12. यदि ठेकेदार की ओर किसी भी प्रकार की राशि लेना शेष रही तो आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन को यह अधिकार होगा कि उक्त जमा परफार्मेंस गारंटी की राशि में से समायोजन कर लेवे इस संबंध में संबंधित ठेकेदार को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

13. उच्चतम निविदादाता की ई–निविदा स्वीकृत होने पर ठेके की स्वीकृत राशि 4 समान किश्तों में समान रूप से विभक्त कर जमा करना अनिवार्य होगा जिसमें प्रथम किश्त की राशि नगद

/डी.डी. एवं आर.टी.जी.एस. तथा शेष ठेका राशि की 03 किश्तों के चेक आगामी तिमाही (माह के प्रथम सप्ताह) जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन के नाम से देय हो प्रस्तुत करना होंगे।

14. उक्त कार्यवाही उपरांत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र संपादित कराकर स्वयं के व्यय से पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, जिस पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित (ठेकेदार) को वहन करना होगा

15. उच्चतम स्वीकृत ई–निविदादाता द्वारा विधिवत् वाहन पार्किंग स्थल का कब्जा लिये जाने के उपरांत ही उनके द्वारा ई–निविदा में जमा कराई गई 2.50 अमानत राशि (E.M.D.) बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।

16. ई–निविदादाता द्वारा प्रस्तुत चेक की राशि निर्धारित समयावधि में निगम को प्राप्त नहीं होती है या दिया गया चेक अनादरित (बाउंस) हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह तत्काल ई–निविदा/ठेका निरस्त कर संबंधित के द्वारा जमा की गई एफ.डी.आर. (पराफार्मेंस गारंटी) व सम्पूर्ण जमा राशि राजसात कर उक्त वाहन पार्किंग शुल्क वसूली ठेका दिये जाने की कार्यवाही की जाकर पुनः ई–निविदा जारी कर सकेगा जिसके क्रम में सम्बंधित को किसी भी प्रकार की आपत्ति व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

17. वाहन पार्किंग शुल्क वसूली का अधिकार स्वीकृत निविदादाता को कब्जा दिनांक से आगामी 03 वर्ष तक के लिये रहेगा जिसमें स्वीकृत निविदादाता को प्रथम वर्ष पश्चात् स्वीकृत ठेका राशि में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि कर वृद्धित ठेका राशि 04 समान किश्तों मे विभक्त की जाकर अवधि समाप्ति के 01 माह पूर्व माह की 07 तारीख तक प्रथम किश्त नगद/चेक/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कार्यालय में जमा कराकर शेष 03 किश्तों के चेक आगामी तिमाही (माह के प्रथम सप्ताह) का कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ठेके की अवधि 01 वर्ष वृद्धित की जावेगी यही प्रक्रिया स्वीकृत निविदादाता को स्वीकृत अवधि तक संपादित करना अनिवार्य होगा और ऐसी स्थिति में सम्बंधित ठेकेदार द्वारा प्रथम बार संपादित किये गये अनुबंध पत्र की समस्त शर्तें ठेका अवधि अर्थात 03 वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगी।

18. यदि संबंधित द्वारा निर्धारित माह में राशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में ठेका स्वमेव निरस्त हो जावेगा और आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह उसकी जमा समस्त राशि राजसात कर उक्त पार्किंग शुल्क वसूली ठेका दिये जाने की कार्यवाही की जाकर किसी अन्य को ठेका दे सकेंगे, जिसके क्रम में संबंधित को किसी भी प्रकार की आपत्ति व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

19. सम्बंधित को ठेका राशि के अतिरिक्त शासन आदेश अनुसार तत्समय प्रचलित जी.एस.टी. व टी.डी.एस. की राशि भी पृथक रूप से जमा कराना अनिवार्य होगा।

20. अनुबंध उपरांत ही वाहन पार्किंग स्थल का कब्जा दिया जा सकेगा।

21. कार्तिक मेला ग्राउण्ड वाहन पार्किंग स्थल (कार्तिक मेला सहित) पर रखने वाले वाहनों से निम्नानुसार निर्धारित शुल्क वसूल करने का अधिकार रहेगा :–

क्र.	वाहन का विवरण	प्रतिदिन प्रति वाहन शुल्क
A	सायकल, सायकल रिक्शा व ट्राईसिकल (विकलांग)	निःशुल्क
B	दो पहिया वाहन (समस्त प्रकार के)	10/– रूपये

C	तीन पहिया व चौ पहिया वाहन (समस्त प्रकार के)	20/— रूपये
D	ट्रैक्टर मय ट्रॉली	30/— रूपये
E	समस्त प्रकार के छह या उससे अधिक पहिया वाहन	50/— रूपये
F	ट्राला	80/— रूपये

नोट :— संबंधित को निम्नानुसार स्थान/वाहन से पार्किंग शुल्क करने का अधिकार नहीं रहेगा :—

1) कालीदास उद्यान में भ्रमण हेतु आने वाले नागरिकों के वाहनों से।

2) प्रति बुधवार आयोजित होने वाले पशु हाट में पशु परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों से।

3) शासकीय विभाग/नगर निगम, उज्जैन के वाहनों से किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क वसूल नहीं किया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम निर्धारित शुल्क है यदि सम्बंधित ठेकेदार उक्त निर्धारित शुल्क से कम शुल्क पर वाहन रखने की सुविधा वाहन स्वामी को उपलब्ध कराना चाहे तो वह निर्धारित उक्त शुल्क में कमी कर सकेगा परन्तु सम्बंधित ठेकेदार को उक्त निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और यदि सम्बंधित ठेकेदार द्वारा निर्धारित उक्त शुल्क से अधिक राशि वाहन स्वामियों से वसूल की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम बार में रू. 20,000/— का अर्थदण्ड तथा द्वितीय बार में रूपये 30,000/— अर्थदण्ड कर सकेगा तथा तृतीय बार पुनरावृत्ति होने पर तत्काल ठेका निरस्त कर सम्बंधित की सम्पूर्ण जमा राशि राजसात कर वाहन पार्किंग स्थल का कब्जा प्राप्त कर सकेगा इस सम्बंध में सम्बंधित को कोई आपत्ति एवं क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने तथा किसी भी प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही करने का अधिकार नहीं रहेगा।

21. निर्धारित वाहन पार्किंग स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर खड़े होने वाले वाहनों से संबंधित द्वारा पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जा सकेगी और यदि संबंधित द्वारा ऐसे स्थानों पर खड़े वाहनों के स्वामियों से अवैध रूप से वाहन पार्किंग शुल्क वसूल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम बार में रू. 5,000/— का अर्थदण्ड तथा द्वितीय बार में रूपये 10,000/— अर्थदण्ड कर सकेगा तथा तृतीय बार पुनरावृत्ति होने पर तत्काल ठेका निरस्त कर सम्बंधित की सम्पूर्ण जमा राशि राजसात कर वाहन पार्किंग स्थल का कब्जा प्राप्त कर सकेगा इस सम्बंध में सम्बंधित को कोई आपत्ति एवं क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने तथा किसी भी प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही करने का अधिकार नहीं रहेगा।

22. वाहन पार्किंग स्थल पर प्रावधान अनुसार वाहन रखवायें जा सकेंगे तथा जो भी वाहन स्वामी/व्यक्ति अपनी स्वैच्छा से वाहन रखना चाहे उसके वाहन की सुरक्षा, वाहन गुम होने या किसी अन्य कारण से क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व संबंधित का रहेगा इस संबंध में नगर पालिक निगम, उज्जैन का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा संबंधित को किसी वाहन स्वामी/व्यक्ति को वाहन पार्किंग स्थल पर वाहन रखने के लिये विवश नहीं किया जा सकेगा।

23. सम्बंधित को वाहन स्वामियों को शुल्क वसूली के प्रमाण स्वरूप रसीद (रसीद बुक या पी.ओ.एस. मशीन की रसीद) संबंधित को दी जाना अनिवार्य होगा।

24. संबंधित को शुल्क संबंधी सूचना पटल ऐसे स्थान पर (एक या उससे अधिक) लगाना अनिवार्य होगा जहां से वह नागरिकों को स्पष्ट दृष्टिगोचर हो एवं सूचना पटल पर ठेकेदार एवं उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों का नाम मय मोबाईल नं. लिखा जाना अनिवार्य होगा।

25. समय–समय पर बिना सूचना दिये निरीक्षण करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का रहेगा।

26. निविदा स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन का होगा।

27. ठेकेदार को ठेका हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं रहेगा।

28. ठेकेदार को निगम अधिकारी/कर्मचारी तथा वाहन स्वामियों एवं जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों से शिष्ट व्यवहार करना अनिवार्य होगा, अभद्र व्यवहार करने पर आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

29. वाहन पार्किंग ठेकेदार वाहन पार्किंग स्थल पर ऐसे व्यक्ति को वसूली कार्य हेतु नियुक्त नही करेगा जिसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो तथा ठेकेदार को वाहन पार्किंग शुल्क की वसूली कार्य हेतु नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को स्वयं के व्यय से यूनिफार्म व परिचय पत्र उपलब्ध कराना होगा जिसे सम्बंधित को वसूली के समय पहनना अनिवार्य होगा।

30. संबंधित को वाहन पार्किंग ठेका स्थल पर वाहनों की सुरक्षा हेतु कर्मचारियों को नियुक्त किया जाकर तार फेंसिंग, प्रकाश आदि की व्यवस्था स्वयं के व्यय से करना अनिवार्य होगा।

31. वाहन पार्किंग स्थल के सम्पूर्ण क्षेत्र की साफ–सफाई का दायित्व सम्बंधित ठेकेदार का रहेगा इस हेतु उन्हें आवश्कता के मान से सफाई संरक्षक नियुक्त करना होंगे।

32. ठेके की अवधि कब्जा दिनांक से प्रारंभ होकर आगामी 03 वर्ष (तीन वर्ष) के लिये होगी।

33. पार्किंग स्थल हेतु निर्धारित स्थान पर यदि कोई निर्माण कार्य नगर निगम या अन्य शासकीय विभाग द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित ठेकेदार को किसी भी प्रकार की आपत्ति या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

34. धार्मिक चल समारोह या कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए या अन्य कारणों से यदि उक्त वाहन पार्किंग स्थल को अधिकतम **02 दिवस** हेतु बंद रखे जाने के लिये पुलिस विभाग या नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो ठेकेदार को निर्धारित अवधि में वाहन पार्किंग स्थल बंद रखा जाना अनिवार्य होगा परंतु ऐसी स्थिति में संबंधित ठेकेदार को किसी भी प्रकार की छूट या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

35. कानून व्यवस्था या प्रशासकीय कारणों से यदि उक्त वाहन पार्किंग स्थल को 02 दिवस से अधिक बंद रखे जाने के लिये पुलिस विभाग या नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो ठेकेदार को निर्धारित अवधि में वाहन पार्किंग स्थल बंद रखा जाना अनिवार्य होगा, परंतु ऐसी स्थिति में जितने दिवस वाहन पार्किंग स्थल का संचालन बंद रखा गया है उतने दिवस की अवधि ठेका अवधि समाप्ति के उपरांत बिना शुल्क जमा कराये वृद्धित की जा सकेगी परन्तु ऐसी स्थिति में संबंधित ठेकेदार को वाहन पार्किंग स्थल बन्द रहने का सक्षम प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

36. निगम की आवश्यकता होने पर आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदादाता को 07 दिवस पूर्व सूचना पत्र दिया जाकर वाहन पार्किंग का ठेका निरस्त किया जा सकेगा किन्तु ऐसी स्थिति में ठेकेदार की जमा अमानत राशि एवं ठेका राशि नियमानुसार अनुपातिक

रूप से बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी और इस संबंध में ठेकेदार को कोई भी आपत्ति करने या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

37. वाहन पार्किंग स्थल पर निर्माण कार्य चालू होने या किसी अन्य कारण से नगर निगम को वाहन पार्किंग स्थल की आवश्यकता होने पर आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 07 दिवस की पूर्व सूचना दी जाकर ठेका निरस्त कर वाहन पार्किंग ठेका स्थल का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा किन्तु ऐसी स्थिति में ठेकेदार की जमा अमानत राशि एवं ठेका राशि नियमानुसार अनुपातिक रूप से बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी और इस संबंध में ठेकेदार को कोई भी आपत्ति करने या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

38. ठेकेदार की ओर ठेका समाप्ति पर अगर कोई राशि नगर पालिक निगम को लेना शेष निकले तो आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन को यह अधिकार होगा कि वह जमा परफार्मेंस गारंटी में से वसूली कर सकेगा।

39. आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश /निर्देश का उल्लंघन करने पर या निविदा/अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार की जमा सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी इसमें ठेकेदार को आपत्ति करने या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

40.. विधि में परिवर्तन के कारण या शासन आदेश के पालन में ठेका निरस्त किये जाने पर ठेकेदार द्वारा जमा की गई ठेका राशि में से नियमानुसार अनुपातिक रूप से राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी और इस संबंध में ठेकेदार को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने या क्षतिपूति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

41. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी रहेगा एवं न्यायालयीन वाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम उज्जैन

अनुसूची–1

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन

(आवेदन पत्र)

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, उज्जैन (म.प्र.)

आवेदक व्यक्तिगत होने की दशा में नवीनतम रंगीन फोटो

महोदय,

निवेदन है कि मैं **वार्ड क्रमांक 12 स्थित कार्तिक मेला प्रांगण (कार्तिक मेला अवधि सहित) वाहन पार्किंग शुल्क** वसूली का ठेका कब्जा दिनांक से आगामी 03 वर्ष के लिये नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक ठेका राशि से अधिक राशि पर दिये जाने नगर निगम की निर्धारित शर्तो के अधीन ठेके पर लेने का इच्छुक हूँ।

इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है :–

1. आवेदक/संस्था का पुरा नाम ....
2. माता/पिता/पति/पत्नी का नाम ....
3. जाति ....
4. आवेदक का स्थाई पता ....
   ....
5. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
6. आवेदक का व्हाट्सएप्प मोबाईल नं (अनिवार्य) ....
7. आवेदक/संस्था का ई–मेल आईडी (अनिवार्य) ....

आवेदक के हस्ताक्षर

....

(घोषणा)

1. मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य है।
2. मैंने वाहन पार्किंग स्थल ठेके पर दिये जाने संबंधित शर्तो को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है। मैं शर्तो का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

आवेदक (घोषणाकर्ता)

अनुसूची–2

ऑफर बीड

सभी निविदादाता यह ध्यान रखें कि न्यूनतम ठेका राशि से अधिक राशि का ऑफर ऑनलाईन दिया जाना होगा।

निविदा से संबंधित अन्य जानकारी **छत्रपति शिवाजी भवन, आगर रोड़ निगम मुख्यालय के कक्ष क्रमांक 135 कार्यालय, राजस्व विभाग (अन्यकर)** में कार्यालयीन कार्य समय में देखी जा सकती है। समस्त शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे।

क्र.	कार्य विवरण	ऑफर राशि
1	नगर पालिक निगम, उज्जैन स्वामित्व का वार्ड क्रमांक 12 स्थित कार्तिक मेला प्रांगण (कार्तिक मेला अवधि सहित) वाहन पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका नियमानुसार निर्धारित वार्षिक न्यूनतम ठेका राशि रूपये 8,85,600/– से अधिक राशि की प्रस्थापना (ऑफर)	ऑनलाईन प्रस्तुत की जावे।

नोट :– निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि से कम राशि के ऑफर को मान्य नहीं किया जावेगा।